

फर्द अहकाम

धीतरमल बनाम सरकार
धारा 88 RT Act

139/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

29/6/18

धारी के द्वारा यह वाद
अन्तर्गत धारा 88 RT Act
के तहत पेज किया। जिसे
दर्ज रीजिस्टर किया बापू
आपों की भूमि रकण 177,
178 में आधी फल नाम धीतर
पुत्र गोपी दर्ज है जो शलत है
सही नाम धीतर पुत्र गोकुल है।

उक्त वाद पर अहमीलदार
पानवारागम के रिपोर्ट ली
शही शरपय गाठ पचांद्र पानवारागम
के रिपोर्ट फल ठेकणेकण किया।
ठेकणेकण करने पर वाद को
स्वीकार करना उचित समझा है।

~~धारी~~ RT. Act की धारा 88 के तहत
मुताबिक अहमीलदार पानवारागम
के रिपोर्ट के अनुसार
दुरुस्त करने के काले
अहमीलदार पानवारागम को
दिफे जाते है। बदानुसार
राजस रिफार्ड में कणल करे।
पत्राली कणल शुमार ठेकर
वाकुर के फल हो वाद
दार्जे दाखिल कर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारागम